समाहरणालय, जहानाबाद

बिहार सरकार

ई-मेल–assistant.director.jbd@gmail.com

दूरभाष -06114-223010

पत्रांक-V-24/2018/...173...../जि०सा०सु०को० जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दिनांक..21.....अप्रैल 2018 ई०.

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी, जहानाबाद।
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला-जहानाबाद।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, जहानाबाद।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मखदुमपुर।

विषय :- **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पुराने पेंशनधारी, जिन्हें भुगतान नहीं मिल रहा हो, उनको पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 25.04.2018 से 05.05.2018 तक अंतिम अभियान(शिविर) के आयोजन के संबंध में।**

प्रसंग :- प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 587 दिनांक 20.04.2018.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पुराने पेंशनधारी, जिन्हें भुगतान नहीं मिल रहा हो, उनको पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 25.04.2018 से 05.05.2018 तक अंतिम अभियान(शिविर) के आयोजन प्रत्येक प्रखण्ड/नगर निकाय मुख्यालय स्तर पर करने का निदेश प्राप्त हुआ है। विदित हो कि अधोहस्ताक्षरी के जनता दरबार में प्राय: निम्न बातें प्रकाश में आयी है :-

(1) **पूर्व से प्राप्त कर रहे कई पेंशनधारियों के नाम अभी तक पेंशन सूची में छूट गए है।**

(2) **जिन पेंशनधारियों का डाटा ई०-लाभार्थी पर अपलोड किया गया है, उनमें से 03(तीन) पेंशनधारियों का बैंक खाता अपलोड नहीं है।**

(3) **ई०-लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड डाटा में 1931(एक हजार नौ सौ एकत्तीस) पेंशनधारियों का खाता पी०एफ०एम०एस० द्वारा कारण सहित अस्वीकृत किया गया है, जिनके त्रुटियों का निराकरण कर पुन: ई०-लाभार्थी पोर्टल पर अपडेट करना है ताकि पी०एफ०एम०एस० द्वारा ऐसे पेंशनधारियों का खाता स्वीकृत हो और उसमें पेंशन का भुगतान सुगमता से हो सके।**

उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण हेतु पूर्व में भी दिनांक 05.01.2018 से 14.01.2018 तक तथा पुन: 27.01.2018 से 17.02.2018 तक प्रखण्ड स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया था, परन्तु शत्-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पायी है।

उपरोक्त के आलोक में पुन: प्रखण्ड स्तर पर दिनांक 25.04.2018 से 05.05.2018 तक शिविर लगाया जाना है, जिसमें निम्न व्यवस्था की जानी है :-

(1) प्रत्येक शिविर में इन्टरनेट सुविधा युक्त कम-से-कम चार कम्प्यूटर से(ऑपरेटर सहित) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(2) प्रत्येक शिविर में आधार पंजीकरण हेतु अधिकृत आधार एजेंसी का एक काउन्टर लगाया जाय, ताकि आवश्यकतानुसार आधार कार्ड बनाया जा सके अथवा उसमें कोई संशोधन किया जा सके।

(3) इसी प्रकार प्रत्येक शिविर में बैंक खाता खोलने हेतु कम-से-कम एक काउन्टर की भी व्यवस्था की जाय।

(4) छूटे हुए या भुगतान नहीं मिल रहे पुराने पेंशनधारियों को अपने दावा के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाणक यथा- (क) पेंशन पासबुक अथवा स्वीकृत्यादेश की प्रति अथवा पूर्व में पेंशन प्राप्त होने का कोई

अन्य प्रमाणिक साक्ष्य। (ख) पेंशन प्राप्त करने हेतु बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति, जिसमें नाम एवं बैंक खाता संख्या स्पष्ट अंकित हो। (ग) आधार कार्ड अथवा कोई अन्य प्रमाणिक परिचय पत्र, जिनके पास आधार कार्ड अथवा बैंक खाता नहीं हो तो शिविर में ही कार्ड बनवाया एवं खाता खुलवाया जायं

(5) वैसे पेंशनधारी जिनका आधार नहीं है, उनका आधार पंजीकरण कर Enrolment ID को पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

(6) शिविर में इस बात का ध्यान रखा जाय कि ई0-लाभार्थी पोर्टल पर पेंशनधारी का नाम, बैंक खाता संख्या एवं आधार कार्ड में एक समान हो, अन्यथा ई0-लाभार्थी पोर्टल में नाम दर्ज होने पर भी इनके खाता में राशि का भुगतान नहीं हो सकेगा। ऐसे त्रुटियों का निराकरण(अभिलेखों में सुधार) शिविर में ही दुर कर तुरंत अपलोड किया जाय। शिविर में ही बैंक खाता खुलवाने एवं आधार कार्ड बनवाने हेतु संबंधित ऐजेंसी को प्रखण्ड विकास पदाधिकरी/कार्यपालक पदाधिकारी अपने स्तर से सूचित करेंगे।

(7) इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि यदि कोई 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी वृद्धावस्था पेंशन के साथ-साथ अन्य पेंशन यथा-विधवा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन के लिए भी योग्य हों तो उनको वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर विधवा/दिव्यांगता पेंशन में दर्ज किया जाय। इसी प्रकार कोई पेंशनधारी भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों की पेंशन योजना के लिए योग्य हो तो उन्हें भारत सरकार की पेंशन योजना के तहत् दर्ज किया जाय।

(8) 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारी का नाम वृद्धावस्था पेंश के तहत् ही दर्ज किया जाय ताकि पेंशनधारी को अधिकाधिक पेंशन मिल सके।

(9) ऐसे सभी पेंशनधारियों को लॉकिंग शिविर के प्रतीक्षा के बिना अविलम्ब कर दिया जाय, जो पी0एफ0एम0एस0 से स्वीकृत पेंशनधारी है।

(10) उपरोक्त शिविर के आयोजन के संबंध में समाचार पत्र, माईक, पोस्टर की सहायता से सूचना दी जाय तथा शिविर की सूचना जन प्रतिनिधि यथा-मुखिया एवं वार्ड सदस्य को भी दी जाय।

(11) सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी ही प्रखण्ड के अनुश्रवण हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित होंगे।

(12) अनुमण्डल पदाधिकारी, जहानाबाद उक्त शिविरों का प्रतिदिन अनुश्रवण करेंगे।

(13) शिविर में प्राथमिक उपचार, पेयजल, सुरक्षा आदि की व्यवस्था के लिए संबंधित पी0एच0सी0, थाना एवं अन्य पदाधिकारियों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी अपने स्तर से निदेशित करेंगे।

(14) छूटे हुए/पूर्व से भुगतान प्राप्त कर रहे पेंशनधारियों के लिए यह अंतिम शिविर होगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

ह0

जिला पदाधिकारी,

जहानाबाद।

ज्ञापांक-V-24/2018/...173....../जि0सा0सु0को0, जहानाबाद दिनांक..21.......अप्रैल 2018 ई0.

प्रतिलिपि :- निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित निदेश दिया जाता है कि इसे जिले के बेवसाईट पर अविलम्ब अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,

जहानाबाद।